संख्या-16/2017/ 83बीपी/35-1-2017

प्रेषक,

संजीव सरन,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

निदेशक,
पशुपालन विभाग,उत्तर प्रदेश लखनऊ।

नियोजन अनुभाग-1 लखनऊ: दिनांक **24** अगस्त, 2017

विषय: बुन्देलखण्ड पैकेज के अन्तर्गत वर्ष 2017-18 में धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्यक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि बुन्देलखण्ड पैकेज के अधीन वर्ष 2013-14 में शासनादेश संख्या- 35बीपी(1)/35-1-2014, दिनांक 04 मार्च, 2014 के माध्यम से बकरी इकाइयों की स्थापना परियोजना की रू; 8.33 करोड (अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता रू. 7.50 करोड, लाभार्थी अंश रू. 0.83 करोड) करोड़ की लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में रू. 0.35 करोड़ की धनराशि अवमुक्त की गई थी, जिसके सापेक्ष विभाग द्वारा रू. 0.25 करोड़ की धनराशि व्यय की गई और शेष धनराशि समर्पित कर दी गई। वर्ष 2014-15 में शासनादेश संख्या 108 बीपी/35-1-2014 दिनांक 08 मई, 2014 द्वारा स्वीकृत परियोजना हेतु रू. 0.10 करोड़ तथा शासनादेश संख्या 298 बीपी/35-1-2014 दिनांक 26 नवम्बर, 2014 द्वारा रू. 1.94 करोड़ अर्थात वर्ष 2014-15 में कुल 2.04 करोड की धनराशि अवमुक्त की गई, जिसके सापेक्ष विभाग दवारा रू 1.76 करोड की धनराशि व्यय की गयी और शेष धनराशि समर्पित कर दी गई। वर्ष 2015-16 में शासनादेश संख्या: 25/2015/105बीपी/35-1-2015 दिनांक 03 जून, 2015 द्वारा परियोजना हेतु रू. 0.28 करोड़ की धनराशि अवमुक्त की गई,जिसके सापेक्ष विभाग दवारा रू 0.27 करोड की धनराशि व्यय की गयी और शेष धनराशि समर्पित कर दी गई । वर्ष 2016-17 में शासनादेश संख्या: 17/2016/116बीपी/35-1-2016 दिनांक 14 जून, 2016 द्वारा परियोजना हेतु रू. 4.29 करोड़ की धनराशि अवमुक्त की गई और विभाग दवारा रू 4.29 करोड की धनराशि व्यय की गयी। इस प्रकार वर्ष 2016-17 तक परियोजनान्तर्गत कुल मिलाकर रू. 6.57 करोड़ की अतिरिक्त सहायता धनराशि का व्यय कर ली गयी हैऔर रू. 0.93 करोड़ अवमुक्त करने हेतु अवशेष है। एतद्द्वारा परियोजनाहेतु अनुमोदित अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता लागत रू 7.50 करोड़ के सापेक्ष पूर्व में व्यय धनराशि को समायोजित करते हुए रू. 0.93 करोड़ (तिरान्वे लाख मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. सन्दर्भित शासनादेशों की अन्य शर्तें यथावत् लागू रहेंगी।
2- इस शासनादेश से कार्यों की अनुमोदित लागत के सापेक्ष पूर्ण धनराशि का आवंटन हो जाता है। लाभार्थी अंश के रूप में अपेक्षित धनराशि विभाग द्वारा समन्वय करते हुए जुटाई जायेगी।
3- कार्यों को मानकों के अनुरूप गुणवत्ता के साथ स्वीकृत लागत में ही पूर्ण किया जायेगा और लागत में वृद्धि अनुमन्य नहीं होगी।
4- राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार उत्तर प्रदेश में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यत: कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

माह में अर्थात 30 जून, 2018 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा।

5- स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय/ प्रगति सम्बन्धी अपेक्षित विवरण उपलब्ध कराने का दायित्व पशुधन विभाग का होगा। तदनुसार कार्यवार वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की पूर्व निर्धारित प्रारूप पर सूचना प्रत्येक माह की 07 तारीख तक नियोजन विभाग को प्रेषित की जायेगी।

2- स्वीकृत धनराशि के समक्ष होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2017-18 के बजट के अनुदान संख्या-40 के अन्तर्गत लेखाशीर्ष-2575-अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम-02-पिछडे क्षेत्र-800-अन्य व्यय-04-बुन्देलखण्ड की विशेष योजनाएं-10 –बकरी इकाइयों की स्थापना-27–सब्सिडी के नामें डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालयज्ञाप संख्या 8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक 03 अगस्त, 2017 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अनुक्रम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(संजीव सरन)
अपर मुख्य सचिव

<u>संख्या-16/2017/83 बीपी (1)/35-1-2017 तददिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1 प्रधान महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2 महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, इलाहाबाद।
3 प्रमुख सचिव, पशुधन विभाग।
4 प्रमुख सचिव, वित्त विभाग।
5 निजी सचिव, मा0 मुख्य मंत्री जी।
6 मण्डलायुक्त, झांसी/चित्रकूट धाम।
7 जिलाधिकारी, झांसी/ललितपुर/जालौन/हमीरपुर/बांदा/महोबा/चित्रकूट।
8 मुख्य विकास अधिकारी,झांसी/ललितपुर/जालौन/हमीरपुर/बांदा/महोबा/चित्रकूट।
9 कोषाधिकारी, झांसी/ललितपुर/जालौन/हमीरपुर/बांदा/महोबा/चित्रकूट/ललितपुर।
10 वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-5
11 जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, झांसी/ललितपुर/जालौन/हमीरपुर/बांदा/महोबा/चित्रकूट।
12 गार्ड फाइल ।

आज्ञा से

(देशराज सिंह)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in